



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 749]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 27, 2018/फाल्गुन 8, 1939

No. 749]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 27, 2018/PHALGUNA 8, 1939

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 2018

का.आ. 848 (अ).- खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 3648 (अ) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

तालिका में,

1. उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में,

(क) दिल्ली के नीचे, कॉलम (1) में क्रम संख्या 5 और कॉलमों (2) और (3) की संबंधित प्रविष्टियों की जगह निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात्,-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“5.	एजीएसएस ऐनालिटिकल एंड रिसर्च लैबोरेटरी (प्रा०) लि०, दिल्ली पंजी.सं. 51/एन/एफएसएसएआई/2018 सी-37/2, (फील्ड की तरफ), लॉरेन्स रोड औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली - 110035	रसायनिक, जैविक”;

(ख) हरियाणा के नीचे, क्रम संख्या 12 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
13.	यूरोफिन्स ऐनालिटीकल सर्विसेस इण्डिया. प्रा.लि, गुरुग्राम पंजी. सं. 38/एन/एफएसएसएआई/2016 प्लॉट सं. 157, उद्योग विहार, फेज - I, गुरुग्राम, हरियाणा - 122016	रसायनिक, जैविक
14.	एनसीएमएल - नेशनल कोलेट्रल मैनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड, - कॉम ग्रेड टेस्टिंग सर्विसेस रीजनल लैबोरेटरी (उत्तर) पंजी. सं. 52/एन/एफएसएसएआई/2018 प्लॉट-883 (तीसरा तल), फेज 5, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा	रसायनिक, जैविक
15.	अल्फा टेस्ट हाउस पंजी.सं. 53/एन/एफएसएसएआई/2018 198-199, एमआईई°, फेज-1, औद्योगिक क्षेत्र, बहादुरगढ़, हरियाणा - 124507	रसायनिक, जैविक";

(ग) राजस्थान के नीचे, कॉलम (1) में क्रम संख्या 5 और पंक्ति के कॉलमों (2) और (3) की संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित किया जाता है।

2. पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित 'ख' में,

(क) गुजरात के नीचे, क्रम संख्या 8 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
9.	क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला, राजकोट पंजी. सं. 42/डब्लू/एफएसएसएआई/2018 विश्वविद्यालय रोड, राजकोट- 360005, गुजरात	रसायनिक
10.	क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला, भुज, कच्छ पंजी. सं. 43/डब्लू /एफएसएसएआई/2018 न्यू लोटस रिंग रोड, भुज-कच्छ- 370001, गुजरात	रसायनिक
11.	खाद्य एवं औषध प्रयोगशाला, वडोदरा पंजी. सं. 44/डब्लू /एफएसएसएआई/2018 निजापुरम, वडोदरा - 390002	रसायनिक
12.	सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अहमदाबाद पंजी. सं. 45/डब्लू /एफएसएसएआई/2018 प्रथम तल, नवरंगपुरा शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, सी.जी. रोड, अहमदाबाद- 380009, गुजरात	रसायनिक";

(ख) मध्य प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 6 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“7.	विमटा लैब्स लिमिटेड, इन्दौर पंजी.सं 41/डब्लू/एफएसएसएआई/2018 इकाई संख्या 301 & 302, तीसरा तल, मालू 01, प्लॉट संख्या 26, स्कीम सं. 94 सी, रिंग रोड, इन्दौर - 452010, मध्य प्रदेश	रसायनिक, जैविक”;

(ग) महाराष्ट्र के नीचे, क्रम संख्या 23 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“24.	खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई पंजी.सं. 46/डब्लू/एफएसएसएआई/2018 खाद्य एवं औषध प्रशासन, प्लॉट संख्या 341, आरबीआई के सामने, बान्द्रा-कुर्ला, मुम्बई - 400051, महाराष्ट्र	रसायनिक”।

3. दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में,

(क) केरल के नीचे, क्रम संख्या 12 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“13.	एक्यूरेट एनालिटिक (जनरल पर्पज लैबोरेटरी), कोच्चिन पंजी.सं. 56/एस/एफएसएसएआई/2018 सी-सी-16/1813-सी, निकर्थिल रोड, थौपमपेडी, कोच्चिन, केरल - 682005	रसायनिक, जैविक
14.	फूड क्वालिटी मॉनिटरिंग लैबोरेटरी (एफक्यूएमएल), केरल पंजी.सं. 57/एस/एफएसएसएआई/2018 खाद्य अनुसंधान एवं विकास बोर्ड परिषद, पेरिन्जोट्टुकल, पो.ऑ. कोन्नी, जिला पथनमथिट्टा, केरल - 689692	रसायनिक, जैविक”;

(ख) तमिलनाडू के नीचे, क्रम संख्या 16 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“17.	ग्लोबल लैब एण्ड कन्सल्टैन्सी सर्विसेस, सलेम पंजी.सं. 58/एस/एफएसएसएआई/2018 एसएफ संख्या 92/3ए2, गीता नगर, अलगापुरम पुदुर, सलेम, तमिलनाडू - 636005	रसायनिक”;

(ग) तेलंगाना के नीचे, क्रम संख्या 7 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“8.	विजन लैब्स, हैदराबाद पंजी.सं. 59/एस/एफएसएसएआई/2018 16-11-23/37 ए, फ्लैट सं. 205, दूसरा तल, मुसरमबाग, मालकपेट, हैदराबाद, तेलंगाना – 500036	रासायनिक, जैविक
9.	स्टेट फूड लैबोरेटरी, पंजी.सं. 61/एस/एफएसएसएआई/2018 नाचरम, मानिकचंद रोड, रहेजा इस्टेट के सामने, हैदराबाद, तेलंगाना – 500 076	रासायनिक”।

4. पूर्वी क्षेत्र से संबंधित 'घ' में, पश्चिम बंगाल के नीचे, क्रम संख्या 5 के पश्चात, संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ की जाएगी, अर्थात्,-

क्रम संख्या	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“6.	विमटा लैब्स लिमिटेड, कोलकत्ता पंजी.सं. 8/ई/एफएसएसएआई/2018 डीएन-51, 11 वां तल, इकाई सं. 1104 एवं 1105, मर्लिन, इन्फार्मेटिक्स भवन, सैक्टर- V, कोलकाता - 700091, पश्चिम बंगाल	रासायनिक जैविक”।

[फा. सं. 12012/01/2017-क्यू.ए.]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में का.आ. 3648 (अ) दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में उसका निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन हुआ था:-

- (i) का.आ. 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- (ii) का.आ. 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
- (iii) का.आ. 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
- (iv) का.आ. 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;
- (v) का.आ. 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
- (vi) का.आ. 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017; और
- (vii) का.आ. 4083 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2017।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th February, 2018

S.O. 848 (E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:-

In the table,

2. in 'A' related to NORTHERN REGION,

(a) under *Delhi*, for serial number 5 in column (1) and respective entries in columns (2) and (3), the following shall be substituted, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"5.	AGSS Analytical & Research Lab (P) Ltd, Delhi Reg. No. 51/N/FSSAI/2018 C-37/2 (Back side), Lawrence Road Industrial Area, Delhi - 110035	Chemical Biological";

(b) under *Haryana*, after serial number 12, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"13.	Eurofins Analytical Services India Pvt. Ltd., Gurugram Reg. No. 38/N/FSSAI/2016 Plot No. 157, Udyog Vihar, Phase – I, Gurugram, Haryana 122016	Chemical Biological
14.	NCML - National Collateral Management Services Limited - Comm Grade Testing Services Regional Laboratory (North) Reg. No. 52/N/FSSAI/2018 Plot -883 (3rd Floor), Phase V, Udyog Vihar, Gurugram, Haryana	Chemical Biological
15.	Alpha Test House Reg. No. 53/N/FSSAI/2018 198-199, MIE., Phase-1, Industrial Area, Bahadurgarh, Haryana – 124 507	Chemical Biological";

(c) under *Rajasthan*, serial number 5 in column (1) and respective entries in columns (2) and (3) of the row shall be deleted.

3. in 'B' related to WESTERN REGION,

(a) under *Gujarat*, after serial number 8, the following entries shall be inserted in respective columns, namely:-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"9.	Regional Food Laboratory, Rajkot Reg. No. 42/W/FSSAI/2018 University Road, Rajkot - 360005, Gujarat	Chemical
10.	Regional Food Laboratory, Bhuj, Kachchh Reg. No. 43/W/FSSAI/2018 New Lotus Ring Road, Bhuj-Kachchh - 370001, Gujarat	Chemical
11.	Food & Drug Laboratory, Vadodara Reg. No. 44/W/FSSAI/2018 Nizapuram, Vadodara - 390002	Chemical
12.	Public Health Laboratory, Ahemdabad Reg. No. 45/W/FSSAI/2018 1 st Floor, Navrangpura Urban Health Centre, Off. C.G. Road, Ahemdabad - 380009, Gujarat	Chemical";

(b) under *Madhya Pradesh*, after serial number 6, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“7.	Vimta Labs Limited, Indore Reg. No. 41/W/FSSAI/2018 Unit No. 301 & 302, 3 rd Floor, Maloo 01, Plot No. 26, Scheme No. 94 C, Ring Road, Indore - 452010, Madhya Pradesh	Chemical Biological”;

(c) under *Maharashtra*, after serial number 23, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“24.	Food Testing Laboratory, Mumbai Reg. No. 46/W/FSSAI/2018 Food & Drug Administration, Plot No. 341, Opposite R.B.I., Bandra – Kurla, Mumbai – 400051, Maharashtra	Chemical”.

4. in ‘C’ related to SOUTHERN REGION,

(a) under *Kerala*, after serial number 12, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“13.	Accurate Analytic (General Purpose Laboratory), Cochin Reg. No. 56/S/FSSAI/2018 C-C-16/1813-C, Nikarthis Road, Thoppumpady, Cochin - 682005, Kerala	Chemical Biological
14.	Food Quality Monitoring Laboratory (FQML), Kerala Reg. No. 57/S/FSSAI/2018 Council for Food Research & Development Board, Perinjottakal P.O., Konni, Pathanamthitta Dist., Kerala - 689692	Chemical Biological”;

(b) under *Tamil Nadu*, after serial number 16, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“17.	Global Lab & Consultancy Services, Salem Reg. No. 58/S/FSSAI/2018 SF. No. 92/3A2, Geetha Nagar, Alagapuram Pudur, Salem - 636005, Tamil Nadu	Chemical”;

(c) under *Telangana*, after serial number 7, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“8.	Vision Labs, Hyderabad Reg. No. 59/S/FSSAI/2018 16-11-23/37 A, Flat No. 205, 2 nd Floor, Musarambagh, Malakpet, Hyderabad, Telangana – 500 036	Chemical Biological

9.	State Food Laboratory, Reg. No. 61/S/FSSAI/2018 Nacharam, Manikchand Road, Opp. Raheja Estate, Hyderabad, Telangana – 500 076.	Chemical”.
----	---	------------

5. in ‘D’ related to EASTERN REGION, under *West Bengal*, after serial number 5, the following entries shall be inserted in respective columns, namely,-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“6.	Vimta Labs Limited, Kolkata Reg. No. 8/E/FSSAI/2018 DN-51, 11 th Floor, Unit No. 1104 & 1105, Merlin, Infinite Building, Sector- V, Kolkata - 700091, West Bengal	Chemical Biological”.

[F. No. 12012/01/2017-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), *vide* S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- (i) S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017;
- (ii) S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017;
- (iii) S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017;
- (iv) S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017;
- (v) S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017;
- (vi) S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017; and
- (vii) S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017.